

द बगि पकिचर: व्यभचार और ववाह

परचिरचा में शामिल परमुख बदि

- क्या है धारा 497?
- क्या यह धारा अनुच्छेद 14, 15 या 21 का अतिक्रमण करती है?
- इसे क्यों नरिस्त कर देना चाहयि?
- अन्य देशों में इससे संबंधति वधान
- नषिकर्ष

संदरभ एवं पृषठभूमि

भारत में ववाह केवल दो व्यक्तियों का ही मलिन नहीं होता अपत्ति दो परिवारों का आपसी संबंध होता है, अतः पश्चिमी समाज की तुलना में भारतीय समाज में ववाह का मुद्दा अधिक संवेदनशील है। कत्ति भारतीय संवधान में ववाह से संबंधति कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो हमेशा सवालों के घेरे में रहते हैं। इसी संदर्भ में देश की शीर्ष अदालत ने इस वर्ष जनवरी में संवैधानिकि पीठ को इटली में रहने वाले एक प्रवासी भारतीय जोसेफ शाइन द्वारा दायर की गई व्यभचार कानून की संवैधानिकि वैधता को चुनौती देने वाली जनहति याचिका को संदर्भति कया था।

- सर्वोच्च न्यायालय ने पहले इस जनहति याचिका पर केंद्र के रुख की मांग की थी, जसिमें बताया गया था कि केवल पुरुषों को किसी अन्य व्यक्तिकि पत्नी के साथ यौन संबंध रखने हेतु व्यभचार के अपराध के लयि दंडति कया जा सकता है। हाल ही में दायर कयि गए अपने जवाब में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि किसी अन्य व्यक्तिकि पत्नी से ववाहेत्तर यौन संबंध स्थापति करने पर सज़ा का प्रावधान करने वाली भारतीय दंड संहति की धारा 497 को नरिस्त करने से वैवाहिकि संस्था ही नष्ट हो जाएगी।
- गृह मंत्रालय ने धारा 497 की वैधानिकिता को चुनौती देने वाली याचिका खारजि करने का अनुरोध करते हुए कोर्ट से कहा कि यह धारा वैवाहिकि संस्था का समर्थन और उसका संरक्षण करती है।
- जबकि याचिका में कहा गया है कि पहली दृष्टि में धारा 497 असंवैधानिकि है क्योंकि यह पुरुषों के साथ भेदभाव करती है और संवधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करती है।

क्या है धारा 497?

- भारतीय दंड संहति (आईपीसी) की धारा 497 के तहत अगर कोई शादीशुदा पुरुष किसी शादीशुदा महिला के साथ रजामंदी से शारीरिक संबंध बनाता है तो उस महिला का पति व्यभचार (एडल्टरी) के नाम पर इस पुरुष के खिलाफ केस दर्ज कर सकता है लेकिन वह अपनी पत्नी के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है।
- साथ ही, इस मामले में शामिल पुरुष की पत्नी भी महिला के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं करवा सकती है। इसमें यह भी प्रावधान है कि ववाहेतर संबंध में शामिल पुरुष के खिलाफ केवल उसकी साथी महिला का पति ही शकियत दर्ज कर कार्रवाई करा सकता है।
- अगर किसी पुरुष पर अवैध संबंध का आरोप साबति हो जाता है तो इसे अधिकतम पाँच साल की सज़ा होती है। इस तरह के मामले की शकियत किसी पुलिसि स्टेशन में नहीं हो सकती बल्कि मजिस्ट्रेट के सामने की जाती है और उसी के सामने सारे सबूत पेश करने होते हैं। सबूत पेश होने के बाद संबंधति व्यक्तिको समन भेजा जाता है।

केंद्र सरकार का पक्ष

- सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईपीसी की धारा 497 (व्यभचार) के लयि दंड के प्रावधान को सही बताते हुए कहा है कि इस प्रावधान को कमज़ोर या फीका करने से वैवाहिकि बंधन की पवतिरता पर असर पड़ेगा।
- साथ ही मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय दंड संहति की धारा 497 और अपराधिकि दंड संहति की धारा 198(2) को खत्म करना भारतीय समाज के चरतिर व मूल्यों के लयि हानिकारक होगा।
- हलफनामे के अनुसार, मौजूदा याचिका में कानून के जनि प्रावधानों को चुनौती दी गई है उन्हें वधायिका ने भारतीय समाज के वशिषिट ढाँचे और संस्कृति

- को ध्यान में रखते हुए अपने वविक से वविवह को संरक्षण प्रदान करने और उसकी पवतिरता की संरक्षा के लयि बनाया है ।
- केंद्र ने हलफनामे में अपराध न्याय व्यवस्था में सुधार पर न्यायमूर्त मलमिथ समति की रपिर्ट का भी हवला दया है जसिमें धारा 497 को लैगकि भेदभाव मुक्त बनाने का सुझाव दया गया था ।
- हलफनामे के अनुसार, वधिआयोग भी इस समय व्यभचार (एडल्टरी) से संबंधति मुद्दों पर वचिर कर रहा है और उसने कुछ पहलुओं की पहचान की है जनि पर वचिर के लयि उप समूहों का गठन कया है ।

मलमिथ समति की रपिर्ट

- न्याय प्रणाली में सुधार के वभिनिन पहलुओं पर वचिर के लयि न्यायमूर्त वी.एस. मलमिथ की अध्यक्षता में नवंबर 2000 में यह समति गठति की गई थी ।
- समति ने वर्ष 2003 में अपनी रपिर्ट उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को उनके कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की थी । इसमें समति ने वभिनिन आपराधिक मामलों में सजा आद से संबंधति कुल 158 सुझाव दये ।
- इसमें अंतरराष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय अपराधों से नपिटने के लयि संघीय कानून लाने, बलात्कारयों के लयि मृत्युदंड की बजाय आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान करने, महिलाओं पर अत्याचार संबंधी अपराधों को जमानती अपराध की श्रेणी में रखने व नए पुलसि कानून के लयि राष्ट्रीय पुलसि आयोग गठति करने आदि सफिरशें शामिल हैं ।
- व्यभचार कानून में संशोधन की सफिरशि करते हुए समति ने कहा था कि जब कसि व्यक्त को कसि अन्य व्यक्त की पत्नी के साथ यौन संबंध रखने के लयि दंडति कया जा सकता है, तो महिला को भी दंड के लयि उत्तरदायी होना चाहयि ।

(टीम वृष्ट इनपुट)

इस कानून के वरिध में तरक

- याचिकाकर्ता के अनुसार, यह कानून 150 वर्ष पुराना है, जब महिलाओं की आर्थिक-सामाजिक स्थति बहुत कमजोर थी, इसलयि व्यभचार के मामले में महिला को पीडति की तरह माना गया था ।
- आज महिलाओं की स्थति इतनी कमजोर नहीं है । यदा वे अपनी इच्छा से दूसरे पुरुष से संबंध बनाती हैं, तो मुकदमा सर्फ उस पुरुष पर नहीं चलना चाहयि । ऐसे मामले में महिला को छूट देना समानता के अधिकार के वपिरीत है ।
- इस दलील की सहमति में संवैधानिक पीठ ने कहा कि "आपराधिक कानून लगे के आधार पर भेदभाव नहीं करता लेकिन यह धारा एक अपवाद है । इस पर वचिर की जरूरत है ।"
- न्यायालय ने यह भी कहा कि पति की सहमति से कसि और से संबंध बनाने पर इस धारा का लागू न होना भी यह दखिता है कि औरत को एक संपत्ति की तरह लया गया है ।
- न्यायालय में यह भी प्रश्न उठाया गया कि आईपीसी की धारा 497 के तहत पति तो अपनी पत्नी के व्यभचार की शकियत कर सकता है परंतु पति के ऐसे संबंधों की शकियत पत्नी नहीं कर सकती । न्यायालय ने माना कये कानून कहीं पुरुष तो कहीं महिला से भेदभाव करता है ।
- इससे पहले भी वर्ष 1954, वर्ष 2004 और वर्ष 2008 में आए नरिणयों में सर्वोच्च न्यायालय आईपीसी की धारा 497 में कसि भी तरह के बदलाव की मांग को ठुकरा चुका है ।
- ध्यातव्य है कि पूर्व में इस पर नरिणय लेने वाली सभी संवैधानिक पीठों में तीन या चार न्यायाधीश होते थे । इसी कारण से इस बार संवैधानिक पीठ में पाँच न्यायाधीशों को सम्मलति कया गया ।

अन्य देशों में व्यभचार के कानून की स्थति

- भारत में व्यभचार कानून का नरिमाण अंगरेजों द्वारा कया गया, लेकिन खुद बरटिन में व्यभचार को अपराध नहीं माना जाता है । यद्यपि वहाँ तलाक के लयि इसे एक कारण माना गया है, लेकिन कसि को इस बात की सजा नहीं दी जा सकती कि उसने कसि वविहति महिला से शारीरिक संबंध स्थापति कये हैं ।
- अमेरिका के 21 राज्यों में व्यभचार दंडनीय अपराध है, लेकिन वर्ष 2003 में जब से अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि दो वयस्कों के बीच सहमति से बने यौन संबंध अपराध नहीं है, तब से व्यभचार के कानून के तहत कसि को आरोपी नहीं बनाया जा रहा है ।
- यूरोप में अधिकांशतः देश व्यभचार को अपराध नहीं मानते हैं, कति यह ध्यान देने योग्य है कि इसे तलाक के आधार के तौर पर एक कारण जरूर माना जाता है ।
- कुल मलाकर, वकिसति देशों में स्थति यह है कया तो वहाँ व्यभचार का कोई कानून नहीं है, या फरि जहाँ कानून है भी तो वहाँ इसका इस्तेमाल न के बराबर होता है । कुछ देशों में कानून की कतिबों में व्यभचार सर्फ इस वजह से है, क्योंकि यह तलाक का आधार है ।
- वकिसति देशों में यह मान लया गया है कि दो वयस्कों के बीच सहमति से होने वाला यौन संबंध गलत या अनैतिक तो हो सकता है, लेकिन इसे अपराध के तौर पर शामिल नहीं कया जा सकता ।

(टीम वृष्ट इनपुट)

आगे की राह

- इस बात से इनकार नहीं किया जा रहा है कि आईपीसी की धारा 497 के भीतर अस्पष्टताएँ मौजूद हैं। किसी अवविवाहित महिला के साथ विवाहित पुरुष द्वारा संबंध बनाने पर तथा विवाहेतर समलैंगिक संबंधों पर इस कानून की औचित्यता स्पष्ट नहीं है।
- यह धारा केवल उस व्यक्ति के खिलाफ लागू होती है जो इस तरह के अपराध करता है, जबकि स्वेच्छा से शामिल महिला को इस कानून से मुक्तता मिली जाती है। इस तरह के कानून का लाभ उस पत्नी को नहीं दिया गया है जिसका पति किसी और महिला के साथ इस तरह के अपराध में संलग्न है। हालाँकि, अंततः एक संशोधन के माध्यम से इस समस्या को हल किया जा सकता है।
- यदि संशोधन के पश्चात् इस कानून के तहत संलग्न महिला को भी अपराधी माना जाए तो इसके परिणामस्वरूप पीड़ित पत्नियों भी अपने पतियों के व्यवहार के लिये उस महिला पर मुकदमा कर पाएंगी। विवाह संस्था को इससे मज़बूती मिलेगी, लेकिन इस वज़ह से महिलाओं की बड़ी संख्या में मुकदमेबाज़ी में फँसने की आशंका है।
- यह विवादित धारा इस तरह की पुष्टि नहीं करती कि यह विवाह को बचाने के लिये है क्योंकि यदि एक पुरुष अपनी पत्नी को किसी दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाने की अनुमति देता है तब यह किस प्रकार विवाह को बचा सकता है।

नबिर्कष: वर्ष 2006 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने व्यवहार को गैर-आपराधिक बनाए जाने की उचित ढंग से सफ़ारिश की। वर्तमान में जब दुनिया भर के कई देशों ने व्यवहार को अपराध मानने वाले कानूनों को नरिस्त कर दिया है, तब हम भारत में अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं कि इसे गैर-आपराधिक बनाना है या नहीं। भारत को भी अन्य विकसित देशों का अनुगमन करते हुए व्यवहार को अपराध मानना बंद कर देना चाहिये और धारा 497 को नरिस्त कर देना चाहिये।

इस बारे में और अधिक जानकारी के लिये इन लिंक्स पर क्लिक करें:

- ⇒ [व्यवहार एक दंडनीय अपराध बना रहना चाहिये : केंद्र](#)
- ⇒ [क्या व्यवहार \(Adultery\) कानून में महिला को भी दोषी माना जाए?](#)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/adultery-and-marriage>

